न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 117/2020 जिला सीकर ।

1. ठाकुर प्रभान प्रताप सिंह पुत्र स्व. ठाकुर प्रभाकर प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामगढ फोर्ट, ग्राम श्यामगढ, तहसील व जिला सीकर हाल निवासी कटेसर कासल, मसूरी (उत्तराखण्ड)

अपीलार्थी

बनाम

1. ले. क. विक्रम कुमार पुत्र श्रीमती वी. प्रभा जाति राजपूत, निवासी प्लांट नम्बर–16, दुर्गा मार्ग, सी– स्कीम, जयपुर हाल निवासी–54 कैलाश अपार्टमेंट, लाला लाजपतराय मार्ग, नई दिल्ली।
2. श्रीमती वी. प्रभा पुत्र स्व. श्री केसर देव, जाति राजपूत, निवासी–54 कैलाश अपार्टमंट, लाला लाजपतराय मार्ग, नई दिल्ली (हजफ)

रेस्पोडेन्ट्स

3. श्रीमती पुष्पेन्द्र कुमारी धर्मपत्नी स्व. ठाकुर प्रभाकर प्रताप सिंह, जाति राजपूत निवासी कटेसर कासल, मसूरी (उत्तराखण्ड)
4. श्रीमती प्रत्यूष कुमारी पुत्र स्व. ठाकुर प्रभाकर प्रताप सिंह धर्मपत्नि स्व. श्री आशीष कुमार सिंह
5. श्री प्रभातेश प्रताप सिंह पुत्र स्व. ठाकुमर प्रतापभान प्रकाश सिंह
6. श्री जगतदीप सिंह पुत्र स्व. श्री मोहन चन्द्र सिंह
7. श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मोहन चन्द्र सिंह
   समस्त जाति राजपूत, निवासी कटेसर कासल, मसूरी, (उत्तराखण्ड)
8. मनोज कुमार सैनी
9. अरूण कुमार सैनी
   पुत्रान श्री चौथमल सैनी जाति माली निवासी आसपास कार्यालय के सामने, जयपुर रोड, सीकर
10. नरोतम पारीक पुत्र स्व. श्री शिव प्रसाद पारीक निवासी श्यामगढ, तहसील व जिला सीकर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसलदार सीकर, तहसील व जिला सीकर।

प्रारूपिक रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार सीकर दिनांक 31.08.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट एड. श्री हेमन्त सोगानी।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से एड. श्री हरलाल सिंह।

निर्णय

दिनांक–26.07.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 31.08.2020 के खिलाफ दिनांक 29.09.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2020 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम पंचायत श्यामगढ के नामान्तकण संख्या 2, 3 एवं 8 दिनांक 10.12.1988 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार सीकर को रिमांड किया गया।
3. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 04.03.2020 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने निर्णय दिनांक 31.08.2020 के द्वारा कैप्टेन विक्रम कुमार पुत्र श्रीमती वी.प्रभा निवासी 54 कैलाश अपार्टमेंट नई दिल्ली के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

न्यायालय तहसीलदार सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.08.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अपीलाधीन

Scanned by CamScanner

निर्णय न्यायालय तहसीलदार सीकर दिनांक 31.08.2020 को निरस्त किये जाने के आदेश जारी किये जाने की प्रार्थना की।

5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि जागीर आयुक्त के आदेश से ठाकुर प्रतापभान प्रकाश सिंह को मिली थी तथा वह उनकी स्वअर्जित सम्पति है। वर्तमान अपीलांट ठाकुर प्रतापभान प्रकाश सिंह के पौत्र हैं। वादग्रस्त भूमि ठाकुर प्रतापभान प्रकाश सिंह की विरासत के नामान्तकरण संख्या 2, 3 एवं 8 दिनांक 10.12.1988 को स्वीकृत किये गये थे। उक्त नामान्तकरणो को सक्षम न्यायालय में चुनौति नही दी गई तथा वे अन्तिम हो चके हैं। दिनांक 17.03.2015 को धारा 9 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मंडल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मंडल द्वारा दिनांक 04.03.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित कर नामान्तकरण संख्या 02, 03 एवं 08 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में ठाकुर प्रतापभान प्रकाश सिंह द्वारा की गई वसीयत की जांच कर आदेश पारित किये जाये। तहसीलदार सीकर द्वारा वसीयत की वैधता के संबंध में समुचित जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम स्वीकृत करने के आदेश पारित कर दिये गये। दिनांक 07.11.1985 को ठाकुर प्रतापभान प्रकाश सिंह की मृत्यु हुई थी तथा तथाकथित वसीयत दिनांक 05.11.1985 को पंजीबद्ध करवाई गई जबकि उक्त अवधि में ठाकुर प्रतापभान प्रकाश सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। वसीयत के लिये प्रोबेट की कार्यवाही दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर दी गई है तथा प्रोबेट कार्यवाही प्रकियाधीन हैं। अतः वसीयत चुनौतिग्रस्त है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायेचित नही है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

7. रेस्पोडेन्ट् के योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि जो ग्राम श्यामगढ व सकराय में स्थित है, वह ठाकुर प्रतापभान प्रकाश सिंह की स्वअर्जित कृषि भूमि थी जिसके संबंध में उनके द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित किया गया था। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत वसीयती की मृत्यु के पश्चात सम्पति का अन्तरण वसीयत के अनुसार हकग्रहिता के पक्ष में स्वतः ही हो जायेगा। प्रकरण में ठाकुर प्रतापभान प्रकाश सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत को सक्षम न्यायालय द्वासरा अवैध घोषित नही किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि कारित नही की गई है। अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाये।

8. उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूवक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट स्वयं का कथन है कि वादग्रस्त भूमि जो अपील मीमो के बिन्दु संख्या 01 व 02 में वर्णित की गई है, वसीयतकर्ता ठाकुर प्रतानभान प्रकाश सिंह की स्वअर्जित कृषि भूमि है। अपीलांट द्वारा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि ठाकुर प्रतानभान प्रकाश सिंह द्वारा जो वसीयत तहरीर की गई है वह उप पंजीयक के समक्ष नियमानुसार पंजीबद्ध की गई है। अपीलांट की मुख्य आपत्ति यह है कि वसीयतकर्ता वसीयत के निष्पादन के समय स्वरूपचित नही थे तथा अस्वस्थ थे इसलिये रेस्पोडेंट संख्या 02 ने साजिशी रूप से एक वसीयतनामा तहरीर कर पंजीबद्ध करवाया है। प्रकरण में विधिक स्थिति इस प्रकार है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 (अभिधारियो का उतराधिकार) में प्रावधान किया गया है कि "कोई अभिधारी निर्वसीयत मर जाये तो उसकी जोत में का उसका हित उस स्वीय विधि के अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन था न्यागत होगा।" उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी कृषि जोत के अभिकारी द्वारा अपनी मृत्यु पूर्व यदि कोई वसीयत निष्पादित कर दी गई है तो उत्तराधकार का प्रश्न उत्पन्न नही होगा तथा उक्त कृषि जोत में हित वसीयतगृहीता के पक्ष में न्यायसगत होगा। हस्तगत प्रकरण में निर्विवादित है कि वादग्रस्त कृषि जोत वसीयतकर्ता की स्वअर्जित थी तथा उसके वसीयत करने का हक प्राप्त था। उक्त वसीयत उपपंजीयक नई दिल्ली कार्यालय की पुस्तक संख्या 03 वोल्यूम नम्बर 331 के पृष्ठ नम्बर 60 से 75 पर पंजीबद्ध की गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पंजीबद्ध दस्तावेज के सही होने की अवधारण ली जायेगी जब तक कि उसे समक्ष न्यायालय

Scanned by CamScanner

से अन्यथा घोषित नही कर दिया जाये। हस्तगत प्रकरण में वसीयत की प्रोबेट कार्यवाही दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन होना उभयपक्ष स्वीकार करते है परन्तु वसीयत को किसी न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नही किया गया है। अतः जब तक उक्त वसीयत को अवैध नही घोषित कर दिया जाता अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2020 की वैधता को चुनौति नही दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विवेचन उपरान्त एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टातो में प्रतिपादित सिद्वांतो के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं जिसमें कोई विधिक त्रुटि कारित करना नही पाया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य हैं।

9. अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2020 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 21/2020 द्वारा तहसीलदार सीकर यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।
10. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner